

**df'k foHkx
fcgkj] i Vuk**

fcgkj df'k i zaku , oai l kj i f' k[k k l LFku 1/ckerh k fcgkj] i Vuk

**us kuy fe'ku vkw , xhdYpjy , Dl Vaku , . M VDukykt h 1/ANMAET 1/2
ds v/khu
l c&fe'ku vkw , xhdYpjy , Dl Vaku 1/vRek ; kt uk 1/vaxz**

**बिहार के fofHku ft ykaeavRek ; kt uk rFk vRek ; kt uk ds dk klo; u ds fy,
jkt; ; kt uk vaxz fofHku fjDr inka ij l sonk vklkj r fu; kt u dh i fØ; k , oa
' kU 1/Reference for Proposal 1/2**

1. परिचय— नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी (NMAET) के अधीन संचालित सब-मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) तथा आत्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना अंतर्गत बामेती एवं जिला/प्रखंड स्तर पर आत्मा के तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन किया जाना है। यह नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुबंध पर नियोजन हेतु निर्गत परिपत्रों तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा।

2- **vkosu i = dk vkae.k &** जिला/प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना एवं आत्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पदों पर संविदा आधारित नियोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र (अनुसूची-1) में ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदवार संख्या, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अधिकतम उम्र सीमा एवं मासिक नियत वेतन का विवरण निम्न प्रकार से है –

2.1 जिला/प्रखंड स्तर पर आत्मा कार्यालय के लिए – जिलावार पदवार रिक्त पदों का विवरण अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।

01	02	03	04	05	06	07
जिला स्तर						

01	लेखापाल (जिला स्तर)	02	बी. कॉम.	बिहार सरकार/ भारत सरकार/ अद्व सरकारी/राज्य अथवा केन्द्र सरकार अधीन संचालित स्वायत्तशासी संस्थान/कृषि	45 वर्ष	13,310
----	------------------------	----	----------	--	---------	--------

				संबंधि प्रतिष्ठित निजी संस्था के लेखापाल में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव		
02	आशुलिपिक —सह— लिपिक (जिला स्तर)	09	स्नातक एवं आशुलिपिक का प्रमाणपत्र तथा कम्पयूटर में डिप्लोमा	बिहार सरकार/ भारत सरकार/ अर्द्ध सरकारी/राज्य अथवा केन्द्र सरकार अधीन संचालित स्वायत्तशासी संस्थान/कृषि संबंधि प्रतिष्ठित निजी संस्था के आशुलिपि में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव	45 वर्ष	13310/-
i q km Lrjh						
03	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक	476	कृषि/उद्यान/ कृषि अभियंत्रण/वानिकी/ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान/ मात्स्यकी/ गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक	कृषि विभाग बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा संपोषित योजनाओं में संस्था के प्रधान द्वारा जारी न्यूनतम 03 वर्ष/ स्नातकोत्तर के लिए 02 वर्ष का अनुभव।	55 वर्ष	25,000
04	सहायक तकनीकी प्रबंधक	1287	कृषि/उद्यान/ कृषि अभियंत्रण/वानिकी/ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान/ मात्स्यकी/ गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक	—	55 वर्ष	15,000
05	लेखापाल (प्रखंड स्तर) (राज्य योजना)	377	बी. कॉम.	बिहार सरकार/ भारत सरकार/ अर्द्ध सरकारी/राज्य अथवा केन्द्र सरकार अधीन संचालित स्वायत्तशासी संस्थान/कृषि संबंधि प्रतिष्ठित निजी संस्था के लेखापाल में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव	45 वर्ष	13,310

नोट – जिलावार, पदवार, कोटिवार रिक्त पदों की संख्या अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

3- l f^{onk} i j fu; kt u grqik=rk &

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- लेखापाल/आशुलिपिक—सह—लिपिक के पदों के लिए आवेदक को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है।
- कंडिका संख्या—2 में अंकित सभी अर्हता को पूरा करता हो।
- प्रत्येक पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित है परन्तु बिहार सरकार के द्वारा समय—समय पर प्रवृत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ी जाति/अत्यन्त पिछड़ी जाति/पिछड़ा वर्ग महिला/महिला को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। यह छूट पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष अनुमान्य होगी।

4- vkj{k k & सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय—समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में लागू होंगे।

नोट – आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार से जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग महिला/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला/महिला/दिव्यांग/स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती एवं नतिनी) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

5- vksnu nus dh i fØ; k &

- आवेदन पत्र ऑन—लाइन हीं स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदन पत्र बामेती के वेबसाईट www.bameti.org तथा कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in के माध्यम से किया जा सकता है।
- आवेदन पत्रों से संबंधित डाटा का संधारण **NIC ds ek; e ls fyd ydj** किया जाएगा।
- **On-line** आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से 05.01.2019 के 5.00 बजे अपराह्न तक Submit किया जा सकता है।
- कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 05 जिले में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है।
- काउंसिलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा।

6- fu; kt u grql e; l hek dk fu/kj. k &

Øol Ø	dk Zdk fooj .k	l e; l hek	nkf; Ro
1.	ऑन लाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि एवं प्रमाणपत्रों को अपलोड करना	05.01.2019 के 5.00 बजे अपराह्न तक	NIC
2.	Draft List of Shortlisted Candidates का प्रकाशन	07.01.2019	NIC / बामेती
3.	आवेदक अपनी आपत्ति NIC को भेज सकेंगे	08-11.01.2019 5.00 बजे अपराह्न तक	NIC / बामेती
4.	आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात Final List of Shortlisted Candidates का प्रकाशन	16.01.2019	NIC / बामेती
5.	आवेदन पत्र एवं प्रमाणपत्रों का डाउनलोड करना	18-20.01.2019	बामेती / जिला स्तर पर
6.	काउंसिलिंग / साक्षात्कार (Shortlisted अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग के लिए पदवार कोटिवार रिक्त संख्या का 5गुणा बुलाया जाएगा)		
6.1.	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का काउंसिलिंग	23–24.01.2019	जिला स्तर पर
6.2.	सहायक तकनीकी प्रबंधक का काउंसिलिंग	28–30.01.2019	जिला स्तर पर
6.3.	लेखापाल का काउंसिलिंग	01–02.02.2019	जिला स्तर पर
7.	ड्राफ्ट मैरिट लिस्ट का प्रकाशन एवं जिला आत्मा के वेबसाईट पर अपलोड करना	08.02.2019	जिला स्तर पर
8.	दावे/आपत्ति को प्राप्त करना	09–12.02.2019	जिला स्तर पर
9.	दावे एवं आपत्तियों के निराकरण के पश्चात चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के सूची का प्रकाशन एवं वेबसाईट पर अपलोड करना	15.02.2019	जिला स्तर पर

7- ft yk Lrj ij vkonu i=k , oa l Ec) i zek ki=k ds l R ki u rFkk fu; kt u i fØ; k i jh djkus grqft yk Lrj ij p; u l fefr dk xBu & समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से होगा –

- i. जिला पदाधिकारी –सह-अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद – अध्यक्ष
 - ii. उप विकास आयुक्त – उपाध्यक्ष
 - iii. जिला कृषि पदाधिकारी – सदस्य
 - iv. सहायक निदेशक उद्यान – सदस्य
 - v. जिला पशुपालन पदाधिकारी – सदस्य
 - vi. अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य के रूप में से जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी – सदस्य
 - vii. परियोजना निदेशक, आत्मा **fu; kt u i kf/kdkj** की जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। – सदस्य सचिव
- परियोजना निदेशक, आत्मा **fu; kt u i kf/kdkj** की जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे।

जिला स्तरीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे –

- आवेदन पत्रों एवं सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन
- पदवार, कोटिवार अभ्यर्थियों का मेधा / चयन सूची तैयार करना तथा जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करना
- इस प्रारूप पर कोई भी अभ्यर्थी प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर चयन समिति के सदस्य सचिव (नियोजन प्राधिकार) के समक्ष आपत्ति कर सकता है।
- आपत्ति / दावों का विचारण के उपरांत अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
- काउंसिलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा।
- वरीयता सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार करना

7-1- fu; k t u dh i fØ; k &

- 7.1.1. Final List of Shortlisted Candidates द्वारा प्रमाणपत्रों को वेबसाईट पर अपलोड करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों को डाउनलोड करने का लिंक जिलों को दिया जाएगा।
- 7.1.2. आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत निर्धारित तिथि को जिला की चयन समिति के समक्ष सभी अभ्यर्थियों का पदवार, कोटिवार प्रारूप मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा उसे संबंधित जिला के वेबवाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रारूप पर कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक चयन समिति के सदस्य सचिव के समक्ष आपत्ति कर सकता है। आपत्ति / दावों पर विचारण के उपरांत अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा तथा काउंसिलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा।
- 7.1.3. प्रमाणपत्रों के सत्यापन के दिन अभ्यर्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- 7.1.4. ऑन लाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी आरक्षण कोटि का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका सक्षम पदाधिकारी (अनुमंडल / जिला पदाधिकारी) द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा अन्यथा सामान्य श्रेणी में समझा जाएगा।
- 7.1.5. ऑन लाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- 7.1.6. ऑन लाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
- 7.1.7. ऑन लाईन आवेदन भरते समय सभी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

08- i fØM rduhdh i zald , oa l gk d rduhdh i zald ds in ij fu; kt u ds fy, vkonck ds eslk l ph dk fu/kj. k&

प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए मेधा सूची का निर्धारण हेतु शैक्षणिक योग्यता पर 75 अंक [{(मैट्रिक के कुल प्राप्त % अंक + इंटरमीडिएट के कुल प्राप्त % अंक + स्नातक के कुल प्राप्त % अंक)/3}X0.75 अंक], अनुभव के लिए 10 अंक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी द्वारा बिहार राज्य में स्थित कृषि/पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त 10 अंक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी द्वारा बिहार राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 05 अंक बोनस के रूप में निर्धारित किया जाता है तथा

उच्चतर शैक्षणिक योग्यता पर 05 अंक यानि मेधा सूची हेतु कुल 100 अंक निर्धारित किया जाता है।

क. उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक निम्न प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं –

'Klf.kd ; k; rk dk fooj.k	xM@fMolt u okj vd dk fu/kz.k	vH Pr
विशेष योग्यता (60 प्रतिशत अंक एवं उससे अधिक)	प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत से कम)	
स्नातकोत्तर	5	2

'Klf.kd ; k; rk ds fy, vd & प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मैट्रीक, इंटरमीडिएट एवं स्नातक तक के लिए प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 75 अंक देय होगा अर्थात् शैक्षणिक योग्यता पर 75 अंक देय होगा। ओ०जी०पी०ए०/सी०जी०पी०ए० वाले अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत प्राप्तांक की गणना की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक प्रतिशत अंक के लिए 0.75 अंक देय होगा।

ख. अनुभव के लिए अंक का निर्धारण – सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा –

इन पदों के लिए निर्धारित अनुभव वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अंकों में अधिमान्यता निम्न प्रकार से दी जाएगी –

- | | |
|---|----------|
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 01 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 02 अंक |
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 02 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 04 अंक |
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 03 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 06 अंक |
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 04 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 08 अंक |
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 05 वर्ष एवं उससे अधिक का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 10 अंक |

नोट – यह अधिमान्यता केवल बामेती/आत्मा/सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी प्राधिकार/अर्द्धसरकारी निगम/अर्द्धसरकारी बोर्ड में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को दी जाएगी।

ग. प्रतीक्षा सूची— प्रत्येक पद एवं कोटि के लिए रिक्त पदों की संख्या का दो गुणा प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। किसी पद के अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने, त्याग पत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन का प्रस्ताव संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला पदाधिकारी—सह— अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा जिनके स्वीकृति के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन प्राधिकार निर्गत किया जाएगा।

संबंधित पद के संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

11- **y₄ k₁ ky , oavk' k₁ fyfi d&l g&fyfi d ds in i j fu; kt u ds fy, vksndks ds eskk l ph dk fu/k₂.k &**

उपर्युक्त पदों के लिए मेधा सूची का निर्धारण हेतु शैक्षणिक योग्यता पर 90 अंक [{(मैट्रिक के कुल प्राप्त % अंक + इंटरमीडिएट के कुल प्राप्त % अंक + स्नातक के कुल प्राप्त % अंक)/3}X0.90 अंक], अनुभव के लिए 10 अंक निर्धारित किया जाता है यानि कुल 100 अंक निर्धारित किया जाता है। संबंधित पद के संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

'K₁k. k₁ ; k₂; rk ds fy, v₁d & संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 90 अंक देय होगा। ओ०जी०पी०ए० / सी०जी०पी०ए० वाले अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत प्राप्तांक की गणना की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक प्रतिशत अंक के लिए 0.90 अंक देय होगा।

ख. अनुभव के लिए अंक का निर्धारण – सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा –

उपर्युक्त पदों के लिए निर्धारित अनुभव वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अंकों में अधिमान्यता निम्न प्रकार से दी जाएगी –

निर्धारित अनुभव वर्ष से 01 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 02 अंक

निर्धारित अनुभव वर्ष से 02 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 04 अंक

निर्धारित अनुभव वर्ष से 03 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 06 अंक

निर्धारित अनुभव वर्ष से 04 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 08 अंक

निर्धारित अनुभव वर्ष से 05 वर्ष एवं उससे अधिक

का अतिरिक्त कार्य अनुभव – 10 अंक

नोट – यह अधिमान्यता केवल बासेती/आत्मा/सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी प्राधिकार/अर्द्धसरकारी निगम/अर्द्धसरकारी बोर्ड में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को दी जाएगी।

ग. प्रतीक्षा सूची— प्रत्येक पद एवं कोटि के लिए रिक्त पदों की संख्या का दो गुणा प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। किसी पद के अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने, त्याग पत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन का प्रस्ताव संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा जिनके स्वीकृति के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन प्राधिकार निर्गत किया जाएगा।

12. सेवा अवधि अधिकतम 60 वर्षों तक की आयु तक हीं सीमित होगी।

13. भारत सरकार के मार्गदर्शिका/राज्य सरकार के राज्यादेश के अनुसार नियत वेतन में वृद्धि की जाएगी।

14. , djkjulek & संविदा आधारित नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं नियोजन प्राधिकार के बीच एक एकरारनामा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संलग्न निर्धारित प्रपत्र में

- किया जायेगा। यह एकरारनामा प्रत्येक वर्ष संबंधित अभ्यर्थी के सेवा अवधि विस्तार के बाद किया जाएगा।
15. **fu; k t u dh vof/k &** संविदा के आधार पर नियोजन एक (01) वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद) द्वारा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर, मूल्यांकन के आधार पर कभी भी सेवामुक्त किया जा सकता है।
 16. **fu; k t u dh l eklr &** अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद) से नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
 17. आत्मा अंतर्गत नियोजित कर्मियों को उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार परियोजना निदेशक, आत्मा के माध्यम से सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद) को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
 18. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
 - 19- **vof/k foLrkj &** चूँकि आत्मा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। अतः संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का अवधि विस्तार प्रति वर्ष अधिकतम 60 वर्षों की उम्र तक, या तबतक किया जाएगा जबतक भारत सरकार द्वारा आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति तथा आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी।
 20. नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय/नियत वेतन देय होगा।
 21. **l fonk ij fu; k t r dfeZka dk nkf; Ro &** कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत मार्गदर्शिका/नियम/परिनियम के आलोक में भारत सरकार, राज्य सरकार, अंतर्विभागीय कार्यसमूह (IDWG), बामेती शासी परिषद, बामेती कार्यकारिणी समिति, निदेशक बामेती/आत्मा शासी परिषद द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व बामेती के माध्यम से आत्मा योजना को सफल एवं पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना है।
 22. संविदा के आधार पर बामेती में नियोजित पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक, बामेती तथा आत्मा में नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण परियोजना निदेशक, आत्मा और **ft yk i nk/ldkj h&l g&v/; {k vlkrek 'kk h i fj"kn dk gkskA**

fun\$ kd
clerk] fcglkj] i Vuk

l fonk ds vkkj ij fu; kt u grq, djkjulek

यह एकरारनामा एवं संविदा के आधार पर चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमती के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है :—

1. यह नियोजन केवल (पद का नाम) के लिए किया गया है।
2. संविदा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/श्रीमती/सुश्री----- को रु0(..... रुपये) एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानांतरणीय नहीं होगी।
7. नियोजन के समय नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. इस प्रकार का नियाजन संविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि का एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
9. वर्तमान में यह नियोजन केवल एक वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए किया जा रहा है। मूल्यांकन के उपरांत कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर मूल्यांकन के आधार पर कभी भी सेवा समाप्त किया जाएगा। यह योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति एवं इसके लिए मिलने वाली राशि पर निर्भर करेगा।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्त मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
11. यह एकरारनामा दिनांक से प्रभावी होगा।

(.....)
.....

(.....)
नियोजित व्यक्ति